<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

श्री अशोक कुमार जैन महात्मा हाईस्कूल रोड़ , मैन बाजार रानी स्टेशन
जिला पाली (राज.)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रानी
प्रथम सूचना अपील संख्या :– 32 / 2026
जीसीएमएस नं. :– 2026 / 58
(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>12.05.2026</td><td>1. पत्रावली आज पेश हुई।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रानी से चाही गई थी परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रानी ने न्यायालय हाजा को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा आवेदक को भिजवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रानी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है, तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखवाया जकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</td><td></td></tr>
</table>